मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3322
12.07.2019 को उत्तर के लिए

वन में लगने वाली आग

3322. श्री तीरथ सिंह रावत:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए कोई स्थायी नीति बनाई है/बनाने का विचार है ताकि वन संसाधनों, वन्य जीवों और पर्यावरण को हुई क्षति के लिए सुरक्षा उपाय किए जा सकें तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में जंगली सुअर, बंदर, भालू आदि जैसे जंगली जानवर बागवानी और कृषि उत्पादों को क्षति पहुंचा रहे हैं और छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ने और क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में सीमांत/छोटे किसानों के हितों में कोई नीति/कार्य-योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से तथा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के राज्य वन विभागों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श से मंत्रालय द्वारा संचालित भारत में वन में लगने वाली आग की स्थिति के विश्लेषण पर किए गए अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर वनाग्नि पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य सूचना द्वारा वनाग्नि को कम करना तथा वनांचल समुदायों को सशक्त और समर्थ बनाना तथा वन विभागों के साथ अनुबद्ध कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। इससे देश में विविधतापूर्ण वन पारि-प्रणाली में वनों में आग लगने के खतरे काफी कम होंगे, आग का मुकाबला करने में वन कार्मिकों और संस्थानों की क्षमता में वृद्धि होगी तथा आग लगने की घटनाओं के बाद तेजी से क्षतिपूर्ति हो सकेगी।

चूंकि वनों का प्रबंधन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है अत: वनाग्नि को रोकने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की होती है। मंत्रालय वनाग्नि को रोकने और उसके प्रबंधन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित वनों में आग की रोकथाम और प्रबंधन की योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में राज्यों को 125 करोड़ रुपए (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपए) की राशि जारी की जा चुकी है।

(ख) उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में समय-समय पर वन्य जीवों द्वारा बागवानी तथा कृषि उत्पादों को क्षति पहुंचाने की घटनाएं पाई गई हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड में वन्य जीवों के कारण फसलों की हुई क्षति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	**वर्ष (उत्तराखंड वन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)**	**क्षतिग्रस्त फसल (हेक्टेयर में)**
1	2016-17	486.348
2	2017-18	270.764
3	2018-19	242.578
4	2019-20 मई, 2019 तक	29.079

उत्तराखंड राज्य वन विभाग के अनुसार, मानव-पशु संघर्ष के कारण छोटे किसानों के पलायन के संबंध में राज्य वन विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसी कोई नीति/कार्य योजना नहीं बना रहा है। फिर भी, उत्तराखंड राज्य वन विभाग ने मानव-पशु संघर्ष नियमावली, प्रतिपूर्ति वितरण नियमावली तैयार की है, जिसमें वन्य जीवों द्वारा जीवन की क्षति तथा संपत्ति एवं फसल के नुकसान की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रावधान निहित हैं।

*****